

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या-77 / 2023-24

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

—बनाम्—

टेकलाल साव

—आदेश—

23.07.2024

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अध्याचना सं०-47 / 2023, दिनांक-23.08.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि महुआटॉड़ (ललपनिया ओपी०) थाना कांड सं०-24 / 2020, दिनांक-02.07.2020 के अन्तर्गत जप्त 1. ट्रैक्टर वाहन ईजन सं०-309STCOF 010029 चेचिस सं०-33DOF010087 एवं उस पर लदा करीब 70 घनफीट अवैध पत्थर 2. ट्रैक्टर वाहन ईजन सं०-309ST10E007833, चेचिस सं०-33510E007828 एवं उस पर लदा करीब 100 घनफीट अवैध पत्थर, दोनो वाहन मालिक श्री टेकलाल साव पिता स्व० तिलक साव, सा०-गांगपुर, पो०- बड़कीपुन्नु, थाना-महुआटॉड़, जिला बोकारो के विरुद्ध अवैध खनन एवं परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप उनके द्वारा The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं खनिज को राजसात् की कार्यवाही करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

इस संबंध में उल्लेख करना है कि एक ऐसे ही मामले में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के W.P.(C) No. 6788 of 2023 में दिनांक-22.07.2024 को पारित आदेश के अंतिम कंडिका (SUMMARISED CONCLUSION) में स्पष्ट किया गया है कि:—

i. Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 is a delegated legislation and cannot travel beyond the power delegated by the parent Act, i.e., the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957.

ii. The phrase “court taking cognizance” is the Special Court constituted in terms of Section 30-B of the Mines and Minerals

47

(Development & Regulation) Act and where there is no such Special Court constituted, it will be the Judicial Magistrate First Class.

iii. It is only the "court taking cognizance", who is the "confiscating authority" under the Act and the Rules. The Deputy Commissioner of each District has got no power to initiate and decide a confiscation proceeding, as the same is in conflict with the parent Act, thus, Rule 11(V) is ultra vires to the parent Act.

iv. "Confiscation" under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act and the Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 are same and cannot be differentiated. "Confiscation" prescribed under the Rules cannot be read independently and the Rules does not give any independent power to any authority to confiscate.

v. Rule 11(1) only nominates and identifies the authority authorised or authority authorized referred under Section 21(3) of the Mines and Minerals (Regulation & Development) Act.

vi. The authority, to seize the minerals and other materials, tools including vehicles, is the authority prescribed under Rule 11(1) of the Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017.

माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि अधोहस्ताक्षरी अधिहरण की कार्यवाही के लिए सक्षम प्राधिकार नहीं है अर्थात् उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है।

वर्णित परिस्थिति में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं०-47/2023, दिनांक-23.08.2023 को खारिज किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

स्थान:- बोकारो।

दिनांक:- 23/07/2024